न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 52 / 2018 **दायर दिनांकः 09.10.2010**

उनवान

1. गोविन्दलाल आयु 45 वर्ष
2. प्रभूलाल आयु 42 वर्ष पिसरान किशनगोपाल जाति धाकड निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामबिहारी आयु 42 वर्ष
2. महावीर आयु 38 वर्ष पिसरान हरिचरण जाति धाकड निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :—
प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल
अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बृजराजसिंह हाडा

निर्णय

दिनांक— 09 / 02 / 2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया हैं जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी आशा हैं। ख0न0 552 / 2654 रकबा 0.62 है०, ख0न0 354 रकबा 1.62 है०, ख०न० 354 / 2484 रकबा 1.96 है0 ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में वाके है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसे आगे विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। अप्रार्थीगण पर बदनियती रखते है तथा प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर कब्जा जमाने को आमादा है अप्रार्थीगण यह कहते है कि वे प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजीयात पर काश्त

नहीं करने देगें तथा प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर अपना कब्जा जमायेगे हालांकि प्रार्थीगण स्वयं व गांव के संभ्रान्त लोगो के माध्यम से प्राथ्रीगण ने विवादित आराजीयात से बेदखल न करने प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त में व्यवधान न डालने हेतु निवेदन किया था लेकिन अप्रार्थीगण नहीं मान रहे है तथा येनकेन प्रकारेण प्रार्थीगणों को विवादित आराजीयात से बेदखल करने तथा प्रार्थीगण की बोई हुई फसलों को काटने को आमादा है तथा प्रार्थीगणों के मना करने के बावजूद अप्रार्थीगण नहीं मान रहे है इन हालात में प्रार्थीगणों के पास सिवाय माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र कर अस्थाई निषेधाज्ञा हासिल करने के अलावा अन्य कोई उपचार उपलब्ध नहीं रहा है। लिहाजा प्रार्थीगणों के लिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त आराजीयात से प्रार्थीगणों को बेदखल न करने तथा कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हासिल करना मामले के तथ्यों परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण प्रथम बार दिनांक 01.09.2018 को उत्पन्न को उत्पन्न हुआ जबकि अप्रार्थीगणों ने प्रार्थीगणों को विवादित आराजीयात से बेदखल करने तथा प्रार्थीगणों की बोई हुई फसलों को नष्ट करने का असफल प्रयास किया तथा प्रार्थीगणों के निवेदन के बावजूद अप्रार्थीगण नहीं माने तथा धमकी दी कि वे तो प्रार्थीगणों को विवादित आराजीयात से बेदखल कर कब्जा जमायेगें लिहाजा यही तिथी बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र हाजा करार दी जाती हे। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हुई तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने कारिन्दो प्रतिनिधीयों के माध्यम से प्रार्थीगणों को विवादित आराजीयात से बेदखल न करें प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत व मजाहमत बेजा न करें ऐसा भी कोई कृत्य न करें जिसमें प्रार्थीगण उपरोक्त आराजीयात से बेदखल हो जाये तथा प्रार्थीगणों के उपरोक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न होता हो ऐसा कुल कार्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे ना ही अपने कारिन्दों से करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–1 में

उक्त उनवान का वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया जाना मात्र स्वीकार है शेष मद हाजा काल्पनिक होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर–2 में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है शेष अंश मद हाजा अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 3 जिस प्रकार से लिखी गई है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 4 जिस प्रकार से लिखी गई है गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर 5 जिस प्रकार से लिखी गई है गलत है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 6 का जवाब वक्त बहस दिया जावेगा। प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार है।

विशेष कथन एवं काउंटर प्रार्थना पत्र

प्रतिपक्षीगण के पिता श्री हरिचरण पुत्र श्र अमरलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी ख0नं0 1122 रकबा 10 बीघा खातेदार श्रीमति डाली बेवा भंवरिया जाति काछी निवासी मोठपुर तहसील अटरू से कमीमतन क्रय की थी जिसका नामान्तरण नंबर 302 दिनांक 02.04.1971 को प्रतिपक्षीगण के पिता हरिचरण के नाम नियमानुसार तस्दीक हुआ है। बाद खरीद से प्रतिपक्षीगण के पिता एवं उनकी मृत्युपरान्त प्रतिपक्षीगण स्वयं उक्त आराजी क्रयशुदा पर स्वयं काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आराजी ख0नं0 1122 के हाल ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 कायम हुए है परन्तु सेटलमेण्ट विभाग द्वारा गफलत एवं लापरवाहीपूर्ण कार्य करते हुए उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दिए गए है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण खातेदारी मे गलत रूप से नाम दर्ज हो जाने से वे प्रतिपक्षीगण की खरीदशुदा आराजी पर से प्रतिपक्षीगण को जबरनबेदखल कर स्वयं कब्जा कर एवं अन्यत्र रहन बेचान करने की धमकियां दे रहे है। यदि इसमें वे सफल हो गये तो प्रतिपक्षीगण के कानूनी एवं सांपत्तिक अधिकारों को हनन होगा। आराजी ख0नं0 354 वत्रमान रकबा 1.62 है0 को प्रतिपक्षीगण अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने के कानूनन अधिकारी एवं नालिशी है तथा इस हेतु घोषणा कराने के अधिकारी है तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे खातेदारी गलत रूप से दर्ज हो जाने से आराजी को रहन बेचान खुर्द बुर्द नकरे तथा प्रतिपक्षीगण की काश्त व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें ना अपने किसी प्रतिनिधी से करावे तथा प्रतिपक्षीगण को शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने दे। काउंटर प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावेएवं प्रार्थीगण को ताफैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे खातेदारी गलत रू‍प से दर्ज हो जाने से

आराजी को रहन बेचान खुर्द बुर्द नकरे तथा प्रतिपक्षीगण की काश्त व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें ना अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तथा प्रतिपक्षीगण को शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने दे।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दोरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहरया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता हरिचरण, प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल व नाथूलाल तीनों सगे भाई थे जिनके संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में कुल किता 11 कुल रकबा 85 बीघा 14 बिस्वा आराजी माल मोठपुर में थी जिसमें तीनों भाई बांट बराबर अर्थात 28 बीघा 11 बिस्वा के हिस्सेदार थे। उक्त आराजी के अलावा प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल ने ग्राम मोठपुर के साबिक ख0नं0 1122 मि0 में से 14 बीघा 15 बिस्वा आराजी जरिये रजि0 सेलडीड क्रय की थी। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल के हिस्से में कुल 45 बीघा 9 बिस्वा आराजी आई थी। सयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी क्रय की गई आराजी को मिलाकर सयुंक्त परिवार के पास कुल करीब 132 बीघा आराजी थी जिसमें हरिचरण, किशनगोपाल व नाथूलाल तीनों भाईयों प्रत्येक को करीब 43 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई थी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्पूर्ण आराजी के नये नंबर बनाकर लगभग बांटबराबर तीनों भाईयों के पृथक पृथक दर्ज किये गये जिसमे प्रार्थीगण के पिता के हाल ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 सहित कुल किता 9 कुल रकबा 6.93 है0 भूमि खाते दर्ज की गई जबकि अप्रार्थीगण के पिता के हाल ख0नं0 354 के बदले अन्य ख0नं0 की भूमि खाते दर्ज की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा पुनः कथन किया गया कि विवादित आराजी हाल ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 भूमि पर न तो अप्रार्थीगण का पहले कब्जा था और न ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण वर्तमान मे विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार कृषक है अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

4. प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में ग्राम मोठपुर की विवादित आराजी की जमाबंदी संवत 2073–76 की नकल पेश की।

5. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस का पूरजोर विरोध करते हुए लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता श्री हरिचरण पुत्र श्री अमरलाल जाति धाकड ने खातेदारा श्रीमति डाली बेवा भंवरिया जाति काछी निवासी मोठपुर तहसील अटरू से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1970 से ग्राम मोठपुर की आराजी मूल खसरा नंबर 1122 में से 10 बीघा भूमि कीमतन क्रय की थी जिसका नामान्तरकरण नंबर 302 दिनांक 2.4.1971 तस्दीक होकर अप्रार्थीगण के पिता हरिचरण के खाते दर्ज हुई। नामान्तरण तस्दीक होने के बाद उक्त आराजी का नया ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा बना। बाद खरीद से अप्रार्थीगण के पिता एंव उनकी मृत्युपरान्त अप्रार्थीगण स्वयं उक्त आराजी क्रयशुदा पर स्वयं काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सेटलमेन्ट के बाद पुराना ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा का नया ख0नं0 354 रकबा 1.62 हेक्टेयर कायम हुए है परन्तु सेटलमेण्ट विभाग द्वारा गफलत एंव लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए विधि विरूद्ध रूप से उक्त आराजी हरिचरण के स्थान पर उनके भाई एवं प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल के खाते दर्ज कर दी गई थी जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल ने भी बाद में खातेदारा डाली बेवा भंवरया जाति काछी से साबिक ख0नं0 1122 मि0 में से शेष बची 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि क्रय की थी जिसके सेटलमेन्ट के बाद नया ख0नं0 354/1484 रकबा 1.92 है0 बनाकर विधिविरूद्ध रूप से अप्रार्थीगण के पिता हरिचरण के खाते दर्ज कर दिया गया है। किशनगोपाल की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुऐ और राजस्व रिकार्ड में नाम होने का अनुचित फायदा उठाकर प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर एंव अन्यत्र आराजी को रहन बेचान करने की धमकियां दे रहे है। यदि इसमे वे सफल हो गये तो अप्रार्थीगण के कानूनी एंव सांपत्तिक अधिकारों का हनन होगा। जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। आराजी खसरा नंबर 354 रकबा 1.62 हेक्टेयर को अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी मे दर्ज करवा पाने के कानूनन अधिकारी एंव नालिशी है तथा इस हेतु घोषणा कराने के अधिकारी है और प्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे खातेदारी गलत रूप से दर्ज हो जाने से आराजी को रहन बेचान या खुर्द बुर्द न करें अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे तथा अप्रार्थीगण की काश्त व्यवस्था मे किसी तरह का व्यवधान ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तथा अप्रार्थीगण को आराजी का शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग करने देवे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यो पर आधारित नहीं है

तथा सुविधा का सन्तुलन एंव अपरिमित क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे पूर्णतया प्रमाणित है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में ग्राम मोठपुर की विवादित आराजी की नकल जमाबंदी संवत 2073–76, ग्राम मोठपुर की नकल खसरा गिरदावरी संवत 2074, खसरा नक्शा, भू प्रबंध विभाग की विवादित आराजी की नकल जमाबंदी, ग्राम मोठपुर के पुराने ख0नं0 1122/1925 की जमाबंदी संवत 2036–39 एवं मिलान क्षेत्रफल, भू प्रबंध विभाग का विवादित आराजी का लगान पर्चा, हरिचरण नागर का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारीसान प्रमाण पत्र, ग्राम मोठपुर के नामान्तरण संख्या 302 दिनांक 02.05.1971 की नकल पेश किये।

7. उभय पक्षकारान की बहस के परिपेक्ष्य में उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस तथ्य का अंकन नहीं है कि हरिचरण के खाते की आराजी साबिक 1122/1925 रकबा 10 बीघा हाल ख0नं.0 354 को प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल पुत्र अमरलाल के खाते किस प्राधिकार के अधीन दर्ज की गई थी। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि सेटलमेन्ट विभाग ने हरिचरण, किशनगोपाल व नाथूलाल की संयुक्त पैतृक संपत्ति कुल 85 बीघा 14 बिस्वा तथा हरिचरण द्वारा क्रय की गई 10 बीघा व किशनगोपाल द्वारा क्रय की गई 14 बीघा 15 बिस्वा व अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा क्रय की गई कुल 132 बीघा आराजी को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बाटबराबर परिवार में कर दिया गया। लेकिन यह उल्लेख नहीं किया कि संयुक्त पैतृक संपत्ति व बाद में स्वअर्जित संपत्ति का यह बांट बराबर विभाजन सेटलमेन्ट द्वारा किस नियम या प्राधिकार के तहत किया गया। सेटलमेन्ट विभाग को तीनों भाईयों की संयुक्त पैतृक संपत्ति का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए था जबकि क्रय की गई स्वअर्जित संपत्ति को उनके क्रेताओं के खाते दर्ज किया जाना चाहिए था। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौहरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल द्वारा क्रय की गई आराजी साबिक ख0नं.0 1122 मि0 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा के सेटमेन्ट के दौरान बनाये गये हाल ख0नं0 354/1484 रकबा 1.92 है0 किशनगोपाल की जगह हरिचरण के खाते दर्ज कर दी गई तथा किशनगोपाल मौके पर ख0नं0 354 पर एवं हरिचरण ख0नं0 354/1484 पर इसी अनुसार

कब्जा काश्त चले आ रहे है। प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर कब्जे काश्त संबंधी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है।

अप्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम मोठपुर की जमाबंदी संवत 2036–39 के अनुसार साबिक ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा की अप्रार्थीगण के पिता हरिचरण पुत्र अमरलाल धाकड के खाते दर्ज थी। अप्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम मोठपुर की नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 302 दिनांक 02.04.1971 मार्क ए 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार डाली बेवा भंवरया कोम काछी द्वारा अपने खाते की ग्राम मोठपुर की आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में से ख0नं0 1122 की 10 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1970 से हरिचरण पुत्र अमरलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर को बेचान किया था। अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता हरिचरण द्वारा साबिक ख0नं0 1122 में से 10 बीघा भूमि रजिस्ट्री से क्रय की थी जिसका नया ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा पेश भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराने ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा का सेटलमेंट के दौरान नया ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 बनया गया। जब साबिक ख0नं0 1122/1925 रकबा 10 बीघा के रिकार्डेड खातेदार कृषक हरिचरण पुत्र अमरलाल थे तो बाद सेटलमेन्ट इससे बनाये गये नये ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 भी हरिचरण पुत्र अमरलाल धाकड के खाते दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम मोठपुर के भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी सन 1989–2009 एवं हाल जमाबंदी संवत 2073–76 मार्क ए 1 के अवलोकन से जाहिर होता है कि सेटलमेन्ट के दौरान बनाया गया ख0नं0 354 रकबा 1.62 है0 प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल पुत्र अमरलाल धाकड के खाते दर्ज कर दिया गया। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के पिता हरिचरण पुत्र अमरलाल के खाते की आराजी साबिक ख0नं0 1122/1925 हाल ख0नं.0 354 को प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल पुत्र अमरलाल के खाते किस प्राधिकार के अधीन दर्ज की गई–स्पष्ट नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट कार्य के दोरान सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिक बिना किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के किसी भी अभिलिखित खातेदार की मूल प्रविष्टीयों में संशोधन नहीं कर सकते है। अतः सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान अप्रार्थीगण के पिता हरिचरण के खाते की आराजी को प्रार्थीगण के पिता किशनगोपाल के खाते दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। **अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।**

यह स्थापित तथ्य है कि किसी आराजी के अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध धारा 212 के अधीन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ सेटलमेंट विभाग की त्रुटि या भूल की वजह से दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी का खातेदार दर्ज हो जाता है और उसे कब्जे से बेदखल करने पर आमदा हो तो ऐसे व्यक्ति/खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में होगा। **अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है**।

उपरोक्त विवेचन से यह भी साबित है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान अवैधानिक तरीके से हरिचरण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को किशनगोपाल के खाते दर्ज कर दिया है। यदि किशनगोपाल के वारिसान यानी प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल करते है या रहन बैचान आदि करते है तो अप्रार्थीगण को उनके कानूनी हक व अधिकारों से वंचित रहना पडेगा जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति उठानी पड सकती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज किये जाने योग्य है।

::—क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां